मे0 स्टारनेट मार्केटिंग प्रा0 लि0, गणेशालय अपार्टमेन्ट, झारूडीह, धनबाद झारखण्ड द्वारा कैमूर जिला के ग्राम–मदुरना, थाना–भभुआ (रकवा–8.397 हेक्टेयर) में पत्थर उत्खनन (Quartzite) करने हेतु प्रस्तावित परियोजना के लिए पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन की अधिसूचना, 2006 के तहत् दिनांक 20.10.2020 (मंगलवार) को 11:00 बजे पूर्वाह्न में प्रखण्ड कार्यालय, चैनपुर, जिला–कैमूर के सभागार में आयोजित लोक सुनवाई का वृत।

पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्गत TOR No.-F.No.J-11015/63/2019-I.A.II (M), dated 09.07.2020 के आलोक में डा0 संजय कुमार, अपर समाहर्ता, कैमूर (जिला पदाधिकारी, कैमूर (भभूआ) द्वारा मनोनीत) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दिनांक 20.10.2020 को पूर्वाह्न 11:00 बजे प्रखण्ड कार्यालय, चैनपुर के सभागार में लोक–सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक–1)

उक्त लोक–सुनवाई की सूचना पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा हिन्दुस्तान, प्रभात खबर, राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया के माध्यम से दिनांक 11.09.2020 को प्रकाशित की गयी थी (प्रतिलिपि संलग्न)। लोक–सुनवाई के दौरान श्री आशीष कुमार गुप्ता, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, पटना द्वारा लोक–सुनवाई में उपस्थित जन–समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत् इकाईयों के परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक–सुनवाई की पृष्ठ–भूमि पर प्रकाश डाला गया।

लोक–सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री आमीर अख्तर ने परियोजना के उत्पादन प्रक्रिया, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं सोशल कॉरपोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी आदि के संबंध में आम–जनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि विस्थापन की कोई समस्या नहीं है।

मे0 स्टारनेट मार्केटिंग प्रा0 लि0 के द्वारा रकवा–8.397 हेक्टेयर में पत्थर उत्खनन **(Quartzite)** परियोजना है। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रस्तावित परियोजना लीज क्षेत्र में नियमित रूप से पानी का छिड़काव, ढुलाई सड़क पर पानी का छिड़काव एवं वृक्षारोपण किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण की रोक–थाम हेतु मशीन का उचित रख–रखाव किया जायेगा एवं वृक्षारोपण किया जायेगा। इस इकाई में पूरी तरह से सूखी प्रक्रिया अपनायी जायेगी। इकाई में उत्पादन प्रक्रिया में जल की आवश्यकता नहीं है। उत्पादन प्रक्रिया में कोई बहिस्राव उत्पन्न नहीं होगा। जलग्रहण क्षेत्र के वर्षा जल को दूर ले जाने के लिए एक गारलैंड नाली बनायी जायेगी। खनन के रूप में उत्पन्न अपशिष्ट को एकत्र किया जायेगा और निर्धारित क्षेत्र में संग्रहित किया जायेगा। प्रस्तावित परियोजना में उत्पादन के समय लगभग 38 कामगारों की आवश्यकता होगी तथा योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता दी जायेगी। प्रस्तावित परियोजना के लिए 7.64 के.एल.डी.

प्रतिदिन जल की आवश्यकता है जिसमें भू–गर्भ या भू–स्तरीय जल का उपयोग किया जायेगा।

कॉर्पोरेट पर्यावरणीय उत्तरदायित्व के तहत परियोजना लागत का 2 प्रतिशत राशि (कुल रुपया 11 लाख) क्षेत्र के विकास एवं लाभकारी योजना में व्यय किया जायेगा।

लोक–सुनवाई के अध्यक्ष द्वारा आम जनता को बताया गया कि आप यहाँ के स्थानीय है। इस परियोजना से क्या–क्या प्रदूषण की सम्भावना है। उसके निपटान के लिए प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आपको विस्तार से बताई गयी है। इसके अलावे पर्यावरण पर और क्या असर पड़ने की सम्भावना है। या कोई शंका है तो उसे निर्भिकतापूर्वक रखेंगे। आपका सुझाव/मंतव्य/शिकायत को इस लोक सुनवाई के माध्यम से सक्षम प्राधिकार को भेजा जायेगा।

परियोजना प्रस्तुतीकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिये गये सुझाव/मंतव्य इस प्रकार है:–

1. श्री मनोज कुमार , पिता श्री ललन चौबे ,ग्राम–मदुरना ,जिला–कैमूर द्वारा बताया गया कि पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा जो उपाय सुझाए गए है, वो पर्याप्त है। इस सुविधा के साथ खनन चालू होने पर कोई दिक्कत नहीं है। कोरोना के कारण गॉव में बेरोजगारी की समस्या आ गई हैं। खुशी की बात है कि इस परियोजना के आने से रोजगार का सृजन होगा।

2' श्री अखण्ड सिंह, पिता स्व0 जयशंकर सिंह ,ग्रम– चैनपुर ,जिला–कैमुर द्वारा इस परियोजना के लिए सहमति दी गई। उनके द्वारा बताया गया कि हमलोग को कोई आपत्ति नहीं हैं। प्रदुषण कि समसया नहीं है । गॉव के काफी लोग बैठे है,उनको रोजगार मिलेगा।

3. श्री रमेश कुमार, पिता श्री रामलाल बिन्द , मदुरना द्वारा इस परियोजना के लिए सहमति दी गई।

4. श्री शंभु सिंह, पिता श्री रामविचार सिंह, ग्राम–सोनावा, चैनपुर, जिला–कैमुर द्वारा सुझाव दिया गया कि पानी का छिडकाव ठीक से होना चाहिए एवं पेड़–पौधे अधिक संख्या में लगाने की जरूरत हैं। स्थानीय लोग को रोजगार मिलना चाहिए।

5. श्री शकील अहमद, पिता श्री कुतुबउददीन, ग्राम–मदुरना ,जिला–कैमूर द्वारा बताया गया कि पर्यावरण संरक्षण के लिए जो व्यवस्था बताई गई है उसे पुरा करने पर कोई दिक्कत नहीं है।पानी का छिड़काव एंव पेड़–पौधा लगाना आवश्यक है।

6. क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पटना द्वारा बताया गया कि खनन कार्य एवं क्रशर के संचालन के दौरान वायु एवं ध्वनि प्रदूषण होने कि संभावना बनी रहती है। खनन क्षेत्र,क्रशर क्षेत्र,लोडिंग/अनलोडिंग क्षेत्र,पहुँच पथ इत्यादि पर आवश्यकता अनुसार फिक्स्ड स्प्रींकलर एवं मिस्ट स्प्रे की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावे सड़क के किनारे,क्रशर के नजदिक एवं अन्य खाली स्थान पर घना वृक्षारोपण करना आवश्यक होगा। केन्द्रीय प्रदुषण नियंत्रण पर्षद एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के गाइडलाइन/मानक का अनुपालन सुनिश्चित करना आवश्यक होगा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा बताया गया कि आपलोग की बात का ध्यान रखा जायेगा। परियोजना हेतु स्थानीय जनता को विश्वास में लेने की आवश्यकता है।आपलोग भी खुद देखेंगे कि जो उपाय सुझाए गए हैं,उनको पूरा करना है। ऐसा प्रयास होना चाहिए कि प्रदूषण न्यूनतम हो। स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। पर्यावरण संतुलन के साथ विकास होना चाहिए। खनन कार्य सरकार के द्वारा निर्धारित गाइडलाइन/मानक के अनुरूप हो, अन्यथा संचालक के विरूद्ध विधि सम्मत करवाई की जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा लोक–सुनवाई के पश्चात् जनता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए सक्षम प्राधिकार द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने हेतु अनुशंसा की गयी तथा लोक–सुनवाई की समाप्ति की घोषणा की गयी।

20-10-2020
क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि.रा.प्र.नि.पर्षद्, पटना

20-10-2020
अपर समाहर्त्ता
कैमूर (भभुआ)

उपस्थिति सूची

मे० स्टारनेट मार्केटिंग प्रा० लि०, गणेशालय अपार्टमेन्ट, झारूडीह, धनबाद झारखण्ड द्वारा कैमूर जिला के ग्राम–मदुरना, थाना–भभुआ (रकवा–8.397 हेक्टेयर) में पत्थर उतखनन (Quartzite) हेतु प्रखण्ड कार्यालय, चैनपुर, जिला–कैमूर में आयोजित लोक सुनवाई दिनांक 20.10.2020 के दौरान उपस्थित महानुभावों की सूचीः

क्र० सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	Dr Sanjay Kum	ADM Kaimur	[signature] 20.10.2020
2.	आशीष कुमार गुप्ता	सं० पदा० बि०रा०प्र०नि० पर्षद, पटना	[signature] 20-10-20
3.	शैलेन्द्र कुमार	[illegible]	[signature] 20/10/20
4.	Amir Akhtar	Env. Consultant, Patna	Amir Akhtar 20/10/2020
5.	Kamlesh Pd Singh	G.M. DIC, Kaimur	[signature] 20/10/2020
6.	Starnet Marketing Pvt Ltd. Kamlesh Sinha	Madurna, Chainpur Kaimur, Bihar	[signature]
7.	Mukhtar Ansari	Madurna.	[signature]
8.	Pawan Kum	मोहनिया	[signature]
9.	V Kesh Mi' Sharma	PCAI	[signature] 20/10/20
10.	श्री रवि कुमार उपाध्याय	मदुरना	[signature]
11.	इकबाल खाँ	मदुरना	इकबाल खाँ
12.	तौफिक खाँ	मदुरना	तौफीक खाँ
13.	Shakil Ahmad	मदुरना	[signature]
14.	आफताब आलम	मदुरना	[signature]
15.	अकबर खान	मदुरना	अकबरखान

15.	विकास सिंह	मदुरना	विकास सिंह
16.	महेश कमलसिंह	मदुरना	[illegible]
17.	मोनु सिंह	मदुरना	[illegible]
18.	शहाबू	मदुना	शहाबू
19.	Tanveer Raza	Madurna	Tanveer Raza
20.	अनुप कुमार	मदुरना	Anup Kumar
21.	अंकित सिंह	मदुरना	अंकित सिंह
22.	Sandeep Sahu	मदुरना	Sandeep Sahu.
23.	Krishna Kumar	Madurna	Krishna Kumar
24.	Amit Singh	madurna	Amit Singh
25.	Deepak Pandey	madurna	Deepak
26.	संतोष कुमार	मदुरना	[illegible]
27.	शिवकुमार प्रसाद	मदुरना	शिवकुमार प्रसाद
28.	रमेश्वर चौधरी	मदुरना	रमेश्वर [illegible]
29.	लौरिक कुमार	मदुरना	लौरिक कुमार
30.	रमेश कुमार	मदुरना	रमेश कुमार
31.	प्रमोद	मदुरना	प्रमोद
32.	कुमार सिंह	मदुरना	[illegible]
33.	मुकेश सिंह	मदुरना	[illegible]
34.	मनोज चौधरी	मदुरना	[illegible]

35.	अंकित सिंह	मदुरना	अंकित सिंह
36.	उत्तमो सिंह	मदुरना	अमोदसिंह
37.	दिलीप कुo पाण्डेय	मदुरना	Dilip Kr Pandey
38.	Mohamid Khan	Chainpur madurna	Mohamid Khan
39.	MD. HARIS ANSARI	Chainpur Madurna	Md Haris Ansari
40.	त्रिभुवन पासवान	मदुरना	त्रिभुवन पासवान
41.	संजीत कुमार सिंह	मदुरना	संजीत कुमार सिंह
42.	अजय कुमार	मदुरना	अजय कुमार
43.	सत्यमी सिंह	मदुरना	सत्यमी सिंह
44.	सतेन्द्र यादव	मदुरना	सतेन्द्र
45.	बधादुर राम	मदुरना	बधादुर राम
46.	अनिल सिंह	मदुरना	अनिल सिंह
47.	चन्देश्वर सिंह	मदुरना	चन्देश्वर सिंह
48.	उदय मौर्य	मदुरना	उदय मौर्य
49.			
50.			
51.			
52.			
53.			
54.			